प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

[एकलपीठ: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश]

दाण्डिक अपील क्रमांक 481/2004

अपीलार्थी विल्सन डेविड उर्फ बिल्लू, पिता विनोद सायमन, आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी सुलभ गौतम नगर के पीछे, सुपेला, पुलिस थाना सुपेला, जिला दुर्ग, छ.ग.

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना सुपेला, जिला दुर्ग, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री उत्तम पाण्डेय, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता तथा सुश्री संगीता मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से।

दाण्डिक अपील क्रमांक 487/2004

अपीलार्थी प्रदीप कुमार उर्फ जरहा, पिता लक्ष्मी प्रसाद केसरवानी, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी हर्द्वारा लाईन, सुपेला, जिला दुर्ग, छ.ग.

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग, छ.ग.

श्री सुनील साहू, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता तथा सुश्री संगीता मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/शासन की ओर से।

दाण्डिक अपील क्रमांक 524/2004

अपीलार्थीगण

1.उन्नी कृष्णन, पिता श्री कुमार सुन्दर अय्यर (मद्रासी), आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी मोची मोहल्ला, कृष्णा नगर, सुपेला, जिला दुर्ग।

2.जितेन्द्र कुमार उर्फ खोखा उर्फ लंगडू, पिता श्री सुरेश कुमार लोहार, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी लोहार मोहल्ला, सुपेला, पुलिस थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना सुपेला, जिला दुर्ग, छ.ग.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री संजय अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से ।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता तथा सुश्री संगीता मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी/शासन की ओर से।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपीलें।

निर्णय

(21.09.2009)

1. उपरोक्त सभी दाण्डिक अपीलें, सत्र प्रकरण क्रमांक 172/2003 में पारित एक ही निर्णय से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450 एवं 376(2)(छ) के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करते हुए, उनमें से प्रत्येक को धारा 450 भा.दं.सं. के अंतर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये

के अर्थदण्ड से, और अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से, तथा (धारा 376(2)(छ) के अंतर्गत) दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से, और अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्डादेश दिया गया है, अतः वे इस उभयनिष्ठ निर्णय द्वारा निराकृत की जाती हैं।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 20-7-2002 को, जब अभियोक्त्री सोनसिर बाई (अ.सा.-9) अपने घर में सो रही थी, तब वर्तमान अपीलार्थीगण, अन्य अभियुक्त छोटू जबलपुरिया के साथ हंसिया, चाकू और पिस्तौल से लैस होकर उसके घर में घुसे। उन्होंने उसके मुँह में कपड़े का टुकड़ा बाँध दिया, बत्ती बंद कर दी और उनमें से तीन ने एक-एक करके उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया और इससे पहले कि चौथा व्यक्ति ऐसा कर पाता, उसका पति वहाँ पहुँच गया। जब वह अभियुक्तगण पर चिल्लाया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। अपने पति की आवाज सुनकर अभियोक्त्री ने अपने मुँह में बँधा कपड़ा फेंक दिया और बाहर आ गई। तत्पश्चात् उसी दिन अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ.आई.आर.') प्रदर्श पी-13 दर्ज कराई गई। उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-14 के अनुसार भेजा गया तथा डॉ. श्रीमती मधु

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

श्रीवास्तव (अ.सा.-1) द्वारा उसका परीक्षण किया गया, जिन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 के अनुसार यह अभिमत दिया कि अभियोक्त्री लैंगिक संभोग की अभ्यस्त थी तथा 32-34 सप्ताह का गर्भ धारण किए हुए थी। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने स्वतंत्र पंच साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-3, पी-4 एवं पी-5 के अनुसार अपना अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त विल्सन डेविड तथा जितेन्द्र से प्रदर्श पी-6 एवं पी-7 के अनुसार कपड़े जब्त किए गए। इनकी शिनाख्त कार्यवाही प्रदर्श पी-11 के अनुसार कराई गई। अभियोक्त्री के योनि-स्लाइड्स प्रदर्श पी-12 के अनुसार जब्त किए गए। अभियोक्त्री के कपड़े प्रदर्श पी-15 के अनुसार जब्त किए गए। नक्शा मौका प्रदर्श पी-16 तैयार किया गया। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के चिकित्सकीय परीक्षण पर वे लैंगिक संभोग करने में सक्षम पाए गए। इस प्रकार जब्त किए गए कपड़े एवं योनि-स्लाइड्स रासायनिक परीक्षण हेतु भेजे गए तथा प्रदर्श पी-24 के अनुसार उन वस्तुओं पर शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि हुई। अभियुक्त उन्नीकृष्णन से प्रदर्श पी-30 के अनुसार पिस्तौल जब्त की गई। अभियुक्त विल्सन से प्रदर्श पी-29 के अनुसार चाकू जब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग-पत्र

प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय को उपार्पित किया, जहाँ से अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने इसे विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त किया। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने अभियोजन मामले में अपने विरुद्ध आई सामग्री का खण्डन किया तथा स्वयं को निर्दोष होने एवं मामले में झूठा फँसाये जाने का अभिवचन किया।

4. विचारण की समाप्ति के पश्चात् एवं पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय सहित, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

6. अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि वे अभियोक्त्री पर आपराधिक गृह-अतिचार तथा सामूहिक बलात्संग किये जाने के तथ्य पर विवाद नहीं कर रहे हैं।तथापि, उन्होंने यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण वे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने अभिकथित अपराध किया है। उनके अनुसार, अभियोजन ने वर्तमान अपीलार्थीगण को प्रश्नगत

अपराध से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है क्योंकि वे अभियोक्त्री या उसके पति को ज्ञात नहीं थे। कोई शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी। अभियोजन, अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की पहचान से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतः विफल रहा है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण ने किसी के समक्ष कोई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल जितेन्द्र उर्फ लंगड़ू, कालू और कालू के नामों का उल्लेख है परन्तु कालू एवं कालू इस मामले में अभियुक्त नहीं हैं। शिनाख्त परेड तथा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य के अभाव में, वे उनके विरुद्ध अभिकथित अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किये जाने के भागी नहीं हैं। अभियुक्त/अपीलार्थी प्रदीप को घटना के लगभग 8 माह पश्चात् दिनांक 20.3.2003 को प्रदर्श पी-26 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त/अपीलार्थी प्रदीप के विरुद्ध अभियोजन द्वारा कोई दोषारोपक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने **संतोष साहू एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[1] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शिनाख्त परेड सभी मामलों में आवश्यक नहीं है तथा न्यायालय में की गई पहचान पर विश्वास किया जा सकता है, किन्तु पहचान के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 2007 (2) **Acquittal** 261

संपुष्टीकरण हेतु विवेक की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे **अशोक साहू बनाम उड़ीसा राज्य**[2] के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोक्त्री के कथन में तात्विक विरोधाभास अभियुक्त की दोषमुक्ति में परिणामित होता है। उन्होंने **विश्वनाथन एवं अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि, निरीक्षक, तमिलनाडु पुलिस**[3] के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अभियुक्तगण अपरिचित थे तब उनकी पहचान स्थापित करने के लिए शिनाख्त परेड की आवश्यकता थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरित, प्रत्यर्थी/शासन के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह निवेदन किया कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। अपीलार्थीगण की पहचान अभियोक्त्री तथा उसके पति कमल राव (अ.सा.-10) दोनों के द्वारा की गई है, जिन्हें बदमाशों को देखने का पर्याप्त अवसर मिला था। इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री या उसके पति के लिए वर्तमान अपीलार्थीगण को झूठा फँसाने का कोई अवसर नहीं था। शासन के अधिवक्ता के अनुसार, अभियोक्त्री और उसके पति के कथन विश्वसनीय हैं तथा विश्वास जगाते हैं जो

[2] 2008 (3) **Crimes** 217 (**Ori.**)
[3] 2008 **STPL (LE)** 40068 **SC**

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध करने एवं दण्डादेश देने के लिए पर्याप्त हैं।

8. वर्तमान मामले में, अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अभियोक्त्री पर आपराधिक गृह-अतिचार और सामूहिक बलात्संग के अपराध पर विवाद नहीं किया है, जो आजीवन कारावास से दण्डनीय है। तथापि, उन्होंने उक्त अपराध में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की संलिप्तता का पुरजोर खंडन किया है। अभियोक्त्री या उसका पति वर्तमान अपीलार्थीगण से पूर्णतः अपरिचित थे और उनकी पहचान न तो अभियोक्त्री द्वारा की गई और न ही उसके पति द्वारा। कोई शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई। पुलिस द्वारा तैयार किया गया संस्वीकृति पंचनामा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के प्रावधानों से बाधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पक्षकारों के तर्क का मूल्यांकन करने के लिए मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण किया है। अभियोक्त्री (अ.सा.-9) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के समय मध्यरात्रि थी और वह अपने घर में सो रही थी क्योंकि उसका पति घर पर नहीं था। पाँच व्यक्ति उसके घर में घुसे, बत्ती बंद कर दी, उसके मुँह में कपड़ा बाँध दिया और एक-एक करके उसके

साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया। वे चाकू, पिस्तौल और अन्य हथियार लिए हुए थे। इसी बीच, उसका पति वहाँ आ गया। एफ.आई.आर प्रदर्श पी-13 उसी दिन अभियोक्त्री द्वारा दर्ज कराई गई थी। डॉ. श्रीमती मधु श्रीवास्तव (अ.सा.-1) द्वारा उसी दिन उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। अभियोक्त्री के कथन का उसके पति द्वारा संपुष्टीकरण किया गया है। डॉ. मधु श्रीवास्तव (अ.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री 32-34 सप्ताह की गर्भवती थी और उसके शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। उन्होंने आगे कहा है कि अभियोक्त्री लैंगिक संभोग की अभ्यस्त थी। अभियोक्त्री का कथन, जो उसके पति द्वारा संपुष्ट किया गया है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि उसके साथ सामूहिक बलात्संग किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. प्रश्नगत अपराध में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की संलिप्तता के संबंध में, अभियोक्त्री (अ.सा.-9) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्नी, कालू और जितेन्द्र ने उसके घर में प्रवेश किया था। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि जब अभियुक्तगण एक-दूसरे से बात कर रहे थे, तब उसे ज्ञात हुआ कि पाँच में से तीन व्यक्ति उन्नी, कालू और जितेन्द्र थे। उसने अपने साक्ष्य के कण्डिका 8 में आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों में से उसने उन्नीकृष्णन, जितेन्द्र और विल्सन डेविड

की अपराधियों के रूप में पहचान की; पुलिस थाने में प्रदर्श पी-11 के अनुसार। कमल राव (अ.सा.-10) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अपीलार्थी प्रदीप के पास हंसिया था और दूसरों के पास चाकू थे।

11. अभियोक्त्री (अ.सा.-9) और उसके पति कमल राव (अ.सा.-10) पति-पत्नी हैं। वे परिया पारा, स्मृति नगर, भिलाई के निवासी हैं जबकि अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण उस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं।अभियोक्त्री (अ.सा.-9) ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 11 में कहा है कि जब वह पुलिस थाना पहुँची, तब उसे तीन अभियुक्तगण के नाम कालू, जितेन्द्र और एक विकलांग व्यक्ति होने का पता चला। तथापि, उसने आगे कहा है कि वह यह पहचानने की स्थिति में नहीं है कि जितेन्द्र कौन है और कालू कौन है। उसने अपने साक्ष्य के कण्डिका 17 में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण नाम लेकर एक-दूसरे से बात कर रहे थे और इसलिए उसे उनके नाम ज्ञात हुए तथा उसी का उल्लेख उसने एफ.आई.आर में किया। कण्डिका 29 में उसने कहा है कि केवल तीन व्यक्तियों ने अपना चेहरा कपड़े के टुकड़े से ढका हुआ था। कमल राव (अ.सा.-10) ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 11 में कहा है कि अभियुक्त प्रदीप के पास हंसिया और जितेन्द्र के पास पिस्तौल थी। उसने कण्डिका 13 में यह स्वीकार किया है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि उसकी पत्नी ने उसे प्रदीप, छोटू, विल्सन और जितेन्द्र के रूप में अभियुक्तगण के नाम बताये थे, किन्तु घटना से पूर्व वे उसे ज्ञात नहीं थे।

12. अभियोजन ने सत्यनारायण सिंह (अ.सा.-3) का परीक्षण कराया है, जो अभियुक्तगण द्वारा की गई अभिकथित न्यायिकोत्तर संस्वीकृति का साक्षी था, किन्तु उसने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। जयप्रकाश सोनी (अ.सा.-5), जिसने अभियुक्तगण की शिनाख्त कार्यवाही की थी, ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। उसने कहा है कि उसके द्वारा हस्ताक्षरित शिनाख्त ज्ञापन (प्रदर्श पी-11) पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा गया था। जी.आर. गहिरवार (अ.सा.-7) उप निरीक्षक है और उसने अपने साक्ष्य के कण्डिका 20 में कहा है कि शिनाख्त ज्ञापन प्रदर्श पी-11 उसके द्वारा तैयार किया गया था और खाने उसी व्यक्ति द्वारा भरे गए थे जिसने इसे तैयार किया था। शिनाख्त ज्ञापन प्रदर्श पी-11 यह दर्शाता है कि अभियुक्त उन्नीकृष्णन, जितेन्द्र और विल्सन की पहचान अभियोक्त्री और उसके पति द्वारा आनंद दास और बल्लू उर्फ संजय की उपस्थिति में की गई थी, जिन्होंने शिनाख्त ज्ञापन प्रदर्श पी-11 पर हस्ताक्षर भी किए हैं, किन्तु अभियोजन ने इन व्यक्तियों का परीक्षण नहीं कराया है।जयप्रकाश सोनी (अ.सा.-5) ने शिनाख्त ज्ञापन में कथित तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। अभियोक्त्री (अ.सा.-9) ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विनिर्दिष्ट रूप से यह कहा है कि उसने प्रदर्श पी-11 पर पुलिस थाने में हस्ताक्षर किये थे और वहीं उसने अभियुक्तगण की पहचान की है। अभियोक्त्री (अ.सा.-9) और कमल राव (अ.सा.-10) अभियुक्तगण की पहचान स्थापित करने के लिए तात्विक साक्षी हैं। उनके कथनों से यह दर्शित होता है कि घटना से पूर्व अभियुक्तगण उन्हें ज्ञात नहीं थे। अभियोक्त्री ने एफ.आई.आर (प्रदर्श पी-3) में तीन व्यक्तियों जितेन्द्र, कालू और कल्लू को नामित किया, यद्यपि कालू और कल्लू इस मामले में अभियुक्त नहीं हैं। उसने एफ.आई.आर में किसी अन्य अभियुक्त को नामित नहीं किया है। उसे उन्नीकृष्णन, कालू और जितेन्द्र के नाम इसलिए ज्ञात हुए क्योंकि वे नाम लेकर एक-दूसरे से बात कर रहे थे, किन्तु उसने उन्नीकृष्णन को एफ.आई.आर में या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत लेखबद्ध कथन में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभियुक्त की पहचान के लिए शिनाख्त कार्यवाही कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। यह विवेक का नियम है। न्यायालय के समक्ष दिया गया साक्ष्य सारवान साक्ष्य होता है। **दया सिंह बनाम हरियाणा राज्य**[4] के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समझने और याद रखने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है और यह उन

[4] **AIR** 2001 **SC** 1188

साक्षियों की प्रबलता या विश्वसनीयता पर निर्भर करती है जिन्होंने न्यायालय में अभियुक्त की पहचान की है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि विचारण में सात या आठ वर्ष का विलंब और उसके बाद न्यायालय में अभियुक्त की पहचान, उक्त साक्षियों के साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और शिनाख्त कार्यवाही के अभाव में भी उनके अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि कटघरे में पहचान से संबंधित उनके कथन पर भरोसा किया जा सकता हो। संगत अंश निम्नानुसार पुनरुत्पादित है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'यह ध्यान में रखा जाना है कि शिनाख्त कार्यवाही का उद्देश्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का पूर्ववर्ती पहचान के रूप में संपुष्टीकरण करना है और यदि वह साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है तो सारवान साक्ष्य की संपुष्टीकरण की आवश्यकता किसी भी तरह से तात्विक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, जहाँ साक्षियों के मन और स्मृति पर पहचान की स्थायी छाप पड़ने के कारण अभिलेख पर लाए गए हो, वहाँ न्यायालय को साक्षी की सत्यवादिता का परीक्षण करना होता है और इस निष्कर्ष पर पहुँचना होता है - आतंकवाद से ग्रस्त वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस तरह के मामलों मे,

शिनाख्त परेड आयोजित न करना वास्तव में महत्वहीन है। ऐसी परिस्थितियों मे, शिनाख्त परेड आयोजित न करना अभियोजन के लिए घातक नहीं है।"

14. **संपत तात्यादा शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[5] के मामले में, शीर्ष न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शिनाख्त कार्यवाही का साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत ग्राह्य है। इसका उपयोग केवल अभियुक्त की पहचान के संबंध में साक्षियों द्वारा दिए गए सारवान साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए ही किया जा सकता है। संगत अंश निम्नानुसार पठनीय है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"शिनाख्त कार्यवाही का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत ग्राह्य है, यह अधिक से अधिक, एक संपोषक साक्ष्य है। इसका उपयोग केवल अभियुक्त को आपराधिक कृत्य के कर्ता के रूप में पहचान के संबंध में साक्षी द्वारा दिए गए सारवान साक्ष्य को संपुष्ट करने के लिए किया जा सकता है। शिनाख्त कार्यवाही में साक्षियों द्वारा की गई पूर्ववर्ती पहचान का कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। न ही शिनाख्त कार्यवाही ही न्यायालय में अभियुक्त की पहचान के संबंध में साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए एकमात्र

[5] **AIR** 1974 **SC** 791

प्रकार का साक्ष्य है जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अपराधी की पहचान पारिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी नियत की जा सकती है।"

15. **<u>जयवंत दत्तात्रय सूर्यराव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य</u>**[6] के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां साक्षी का साक्ष्य ठोस, सुसंगत और हेतुरहित है, तो उसे केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि साक्षी ने अभियुक्त को कुछ मिनटों के लिए देखा था। अतः, उसके लिए अभियुक्त की पहचान करना कठिन होगा, क्योंकि समझने और याद रखने की शक्ति हर व्यक्ति में भिन्न-भिन्न होती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. **<u>देविंदर सिंह एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य</u>**[7] के मामले में, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हर मामले में शिनाख्त परेड कराना आवश्यक नहीं हो सकता है, बल्कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सुसंगत अंश इस प्रकार है:

'अभियोजन के मामले पर संदेह करने का एक और कारण है। यद्यपि अपीलार्थीगण को घटना के कुछ दिनों के भीतर

---

[6] (2001) 10 **SCC** 169

[7] (2003) 11 **SCC** 488

गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें शिनाख्त परेड के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। यह सही है कि हर मामले में शिनाख्त परेड कराना आवश्यक नहीं हो सकता है, बल्कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस मामले में अभियोक्त्री ने अपने बयान के दौरान यह नहीं कहा था कि वह सभी अपीलार्थीगण को व्यक्तिगत रूप से नाम से या अन्यथा जानती थी। वह उन्हें इस प्रकार से जानती थी कि वह उन्हें पहचान सके। अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट मे, उसने कहा था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति उसका दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन उसने घटना के दो साल बाद न्यायालय में अपीलार्थीगण की पहचान की। प्रश्न यह है कि इन तथ्यों और परिस्थितियों में शिनाख्त परेड आवश्यक थी या नहीं। चूँकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियोक्त्री अपीलार्थीगण से पहले से परिचित थी, या वर्तमान घटना से पहले उनसे मिलने का कोई कारण था, यह अत्यंत संदिग्ध प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री को केवल अपराधियों की क्षणिक झलक ही मिली हो। अभियोजन पक्ष के असंगत वृत्तांत के कारण अपीलार्थीगण की पहचान करने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का पर्याप्त अवसर मिलने के बारे में अभियोक्त्री का दावा और भी संदिग्ध हो जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि अपीलार्थीगण के कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उसे बत्ती जलाने के लिए कहा, लेकिन जब उसने कहा कि कोई रोशनी नहीं है, तो उन्होंने एक माचिस की तीली जलाई और उसकी अलमारी से एक टॉर्च निकाली, और एक-दूसरे को देखने लगे। इससे उसे प्रकाश की चमक और टॉर्च की रोशनी में उन्हें पहचानने का अवसर मिला। उसने अपने बयान में इसी आशय का कथन किया है। उसके साथ बलात्कार होने के ठीक बाद ही उसने यह बयान दिया था। प्रथम दृष्टया में यह कहानी असंभाव्य और अविश्वसनीय लगती है। यह समझ से परे है कि अभियोक्त्री ने अपनी अलमारी में एक टॉर्च क्यों रखी थी, और अपीलार्थीगण ने उस टॉर्च को जलाकर उसे कोठरियों में डालने से पहले और उसके बाद, जैसा कि आरोप है, उसके चेहरे पर टॉर्च चमकाकर स्वयं को पहचानने का जोखिम क्यों उठाया। इसके अलावा, उसके बयान के अनुसार टॉर्च बंद कर दी गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब अपीलार्थीगण ने एक-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दूसरे को देखने के लिए टॉर्च जलाई थी, तब अभियोक्त्री को केवल उनकी क्षणिक झलक ही मिली थी।"

17. वर्तमान मामले में, अपराध किए जाने की तारीख से पहले अपीलार्थीगण अभियोक्त्री और उसके पति के लिए अज्ञात थे। अपराध करते समय आधी रात थी और अभियुक्तगण ने बत्ती बंद कर दी थी। अभियुक्त की उचित शिनाख्त परेड आयोजित करने के बजाय, अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श पी-3, पी-4 और पी-5 के माध्यम से उनकी संस्वीकृति दर्ज करके एक पूरी तरह से अवैध प्रक्रिया अपनाई है, जो न्यायिक मानदंडों के विरुद्ध है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रावधानों के भी विरुद्ध है। अभियोजन पक्ष ने उन पंच साक्षियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का भी ध्यान नहीं रखा है जिनके समक्ष अभियुक्तगण की पहचान अभियोक्त्री और उसके पति द्वारा की गई थी। यहाँ तक कि अभियोक्त्री और उसके पति ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे यह पता चले कि उन्हें प्रत्येक अभियुक्त को देखने का पर्याप्त अवसर मिला था और उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर कठघरे में उनकी पहचान की है। अभियुक्त की पहचान स्थापित करने के लिए शिनाख्त परेड एक अनिवार्य शर्त नहीं है, बल्कि यह एक सावधानी और विवेक का नियम है। शिनाख्त परेड उन मामलों में आवश्यक है जहाँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपराधी पहले से पीड़ित/शिकायतकर्ता से परिचित नहीं था। इस मामले में अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण की पहचान का वर्णन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित तीन व्यक्तियों अर्थात् जितेंद्र, कालू और कल्लू में से, दो व्यक्ति अर्थात् कालू और कल्लू इस मामले में अभियुक्त नहीं हैं। अभियोक्त्री यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि किस व्यक्ति का क्या नाम है।

18. अभियोक्त्री और उसके पति (क्रमशः अ.सा.-9 और अ.सा.-10) के कथन प्रश्नगत अपराध से उन्हें जोड़ने वाले अभियुक्तों की पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। संदेह, चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। उनके बयान विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं और उसके आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की पूर्वोक्त संवीक्षा को देखते हुए, मेरा यह मत है कि आक्षेपित निर्णय अवैधता से ग्रस्त है। इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि अपीलार्थीगण द्वारा जुर्माने की राशि पहले ही जमा कर दी गई है, तो वह उन्हें वापस कर दी जाए।

सही/-
टी.पी.शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur